



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-16022023-243639
CG-DL-E-16022023-243639

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 674]

नई दिल्ली, बुधवार, फरवरी 15, 2023/माघ 26, 1944

No. 674]

NEW DELHI, WEDNESDAY, FEBRUARY 15, 2023/MAGHA 26, 1944

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 14 फरवरी, 2023

का.आ. 704(अ).—भारत सरकार ने पेट्रोलियम और खनिज पाइपलाइन (भूमि में उपयोग के अधिकार का अर्जन) अधिनियम, 1962 (1962 का 50) जिसे इससे इसके पश्चात उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 3 कि उपधारा (1) के अधीन जारी भारत सरकार के पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय की अधिसूचना संख्या का. आ. 3730 (अ) तारीख 04.08.2022 जो भारत के असाधारण राजपत्र तारीख 08.08.2022, में प्रकाशित की गई थी, द्वारा उस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि में मैसर्स इंद्रधनुष गैस ग्रिड लिमिटेड द्वारा असम राज्य में नार्थ-इस्ट नेचुरल गैस पाइपलाइन ग्रिड परियोजना के GNPL खंड के मध्यायम से प्राकृतिक गैस के परिवहन के लिए पाइपलाइन बिछाने के प्रयोजन के लिए उपयोग के अधिकार का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा की थी;

और उक्त राजपत्रित अधिसूचना की प्रतियाँ जनता को उपलब्ध करा दी गई थी;

और सक्षम प्राधिकारी ने जनता से प्राप्त आक्षेपों को परीक्षण के उपरान्त निपटान कर दिया है;

और सक्षम प्राधिकारी ने, उक्त अधिनियम की धारा 6 की उप - धारा (1) के अधीन भारत सरकार को अपनी रिपोर्ट दे दी है;

और भारत सरकार ने, उक्त रिपोर्ट पर विचार करने के पश्चात और यह संतुष्ट हो जाने पर कि उक्त भूमि पाइपलाइन बिछाने के लिए अपेक्षित है, उसमें उपयोग के अधिकार का अर्जन करने का विनिश्चय किया है;

अतः अब, भारत सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 6 कि उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये, यह घोषणा करती है कि इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि में पाइपलाइन बिछाने के लिए उपयोग के अधिकार का अर्जन किया जाता है;

और भारत सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 6 कि उपधारा (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये, यह निर्देश देती है कि पाइपलाइन बिछाने के लिए भूमि में उपयोग के अधिकार, इस घोषणा के प्रकाशन की तारीख को, भारत सरकार में निहित होने के बजाय, पाइपलाइन बिछाने का प्रस्ताव करने वाली मैसर्स इंड्रधनुष गैस ग्रिड लिमिटेड में निहित होगा और तदुपरि, भूमि में ऐसे उपयोग का अधिकार, इस प्रकार अधिरोपित निबंधनों और शर्तों के अधीन रहते हुये, सभी विलंगमों से मुक्त, मैसर्स इंड्रधनुष गैस ग्रिड लिमिटेड में निहित होगा।

अनुसूची

जिला : दरांग				राज्य : असम		
सर्कल	मौज़ा	गाँव	दाग नं	क्षेत्रफल		
				हेक्टेअर	आर	वर्ग मीटर
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
मंगलदाई	चापाई	अहाका चुबुरी	615	00	12	86
			596	00	05	48
			581	00	08	02
			635	00	14	00
			621	00	15	15
			606	00	05	06
			640	00	14	00
मंगलदाई	चापाई	दहा चुबुरी	1145	00	04	01
पथरीघाट	रैनाकुचि	निरन चुबा	1524	00	13	28

जिला : सोनितपुर				राज्य : असम		
सर्कल	मौज़ा	गाँव	दाग नं	क्षेत्रफल		
				हेक्टेअर	आर	वर्ग मीटर
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
ढेकियाजुली	बोर्सोला	दमदुमिया गांव	406	00	06	70
			407	00	08	58

जिला : उदलगुड़ी				राज्य : असम		
सर्कल	मौज़ा	गाँव	दाग नं	क्षेत्रफल		
				हेक्टेअर	आर	वर्ग मीटर
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
कलाईगांव	चापाई	चंदोवालपारा	407	00	35	06

			411	00	35	06
			410	00	35	06
			409	00	35	06
			408	00	35	06
			405	00	35	06
			406	00	35	06
			412	00	35	06
मजबूत	ओरंग	मजार चुबा	565	00	27	09
			87	00	26	00
			147	00	21	88
			145	00	14	92
			144	00	03	63
			146	00	01	72
			142	00	01	39
			56	00	09	03
मजबूत	ओरंग	उत्तर चुबा	110	00	14	00
			112	00	04	11
			105	00	15	27
			111	00	02	38
			106	00	45	20
			67	00	10	65
			90	00	11	42
			89	00	14	20
			86	00	08	25

जिला : कामरूप			राज्य : असम			
सर्कल	मौज़ा	गाँव	दाग नं	क्षेत्रफल		
				हेक्टेअर	आर	वर्ग मीटर
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
उत्तर गुवाहाटी	बरबंगसर	बर पलाहा	592	00	03	87
			593	00	00	40
			1906	00	02	95
			1905	00	01	78
			1913	00	01	75
			585	00	01	91
			1903	00	00	48
			586	00	07	55
			587	00	02	26

			1934	00	00	90
			578	00	00	68
			577	00	00	59
			576	00	08	96
			1900	00	00	69
			556	00	13	44
			555	00	07	19
			553	00	07	82
			551	00	05	38
			550	00	01	52
			549	00	00	59
			548	00	00	08
			477	00	37	67
			478	00	16	13
			483	00	02	92
			484	00	04	50
			474	00	01	78
			486	00	01	84
			487	00	01	94
			488	00	02	98
			489	00	10	56
			490	00	05	05
			491	00	03	95
			494	00	01	32
			493	00	02	96
			494	00	02	48
			383	00	07	03
			495	00	03	53
			382	00	04	00
			380	00	03	11
			381	00	04	34
			370	00	00	45
			1011	00	05	69
			1010	00	05	59
			1012	00	00	40

[फा. सं. एल -14014/171/2022-जीपी-II(ई-43979)]

एम. आर. नाज़मी, अव्वर सचिव

MINISTRY OF PETROLEUM AND NATURAL GAS**NOTIFICATION**

New Delhi, the 14th February, 2023

S.O. 704(E).—Whereas by notification of the Government of India in the Ministry of Petroleum and Natural Gas S.O.No.3730(E) dated the 04.08.2022 issued under sub-section (1) of section 3 of the Petroleum and Minerals Pipelines (Acquisition of Right of User in Land) Act, 1962 (50 of 1962), (hereinafter referred to as the said Act), published in the Extra Ordinary Gazette of India dated the 08.08.2022 the Government of India declared its intention to acquire the Right of User in the land specified in the Schedule appended to that notification for the purpose of laying pipeline for transportation of Natural Gas through GNPL section of North – East Natural Gas Pipeline Grid Project in the state of Assam, by Indradhanush Gas Grid Limited (IGGL).

And whereas copies of the said Extraordinary Gazette notification were made available to the public.

And whereas the objections received from the public to the laying of the pipeline have been considered and disposed by the Competent Authority.

And whereas the Competent Authority has, under sub-section (1) of section 6 of the said Act submitted its report to the Government of India.

And whereas the Government of India after considering the said report and on being satisfied that the said land is required for laying the pipeline, has decided to acquire right of user therein;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of the section 6 of the said Act, the Government of India hereby declares that the right of user in the land specified in the Schedule appended to this notification is hereby acquired for laying the pipeline;

And further, in exercise of the powers conferred by sub-section (4) of section 6 of the said Act, the Government of India hereby directs that the Right of User in the land for laying the pipeline shall, instead of vesting in Government of India, vest, on this date of the publication of the declaration, in the Indradhanush Gas Grid Limited (IGGL), free from all encumbrances.

SCHEDULE

District: DARRANG				State: Assam		
Circle	Mouza	Name of Village	Dag No	Area		
				Hectare	Are	Square Metre
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Mangaldai	Chapai	Ahaka chuburi	615	00	12	86
			596	00	05	48
			581	00	08	02
			635	00	14	00
			621	00	15	15
			606	00	05	06
			640	00	14	00
Mangaldai	Chapai	Daha chuburi	1145	00	04	01
Patharighat	Rainakuchi	Niranchuba	1524	00	13	28

District: Sonitpur				State: Assam		
Circle	Mouza	Name of Village	Dag No	Area		
				Hectare	Are	Square Metre
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Dhekiajuli	Borsola	Doomdumia gaon	406	00	06	70
			407	00	08	58

District: Udalguri			State : Assam			
Circle	Mauza	Name of Village	Dag No.	Area		
				Hectare	Are	Square Metre
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Kalaigaon	Chapai	Chandowalpara	407	00	35	06
			411	00	35	06
			410	00	35	06
			409	00	35	06
			408	00	35	06
			405	00	35	06
			406	00	35	06
			412	00	35	06
Majbat	Orang	Majar Chuba	565	00	27	09
Majbat	Orang	Uttar Chuba	87	00	26	00
			147	00	21	88
			145	00	14	92
			144	00	03	63
			146	00	01	72
			142	00	01	39
			56	00	09	03
			110	00	14	00
			112	00	04	11
			105	00	15	27
			111	00	02	38
			106	00	45	20
			67	00	10	65
			90	00	11	42
			89	00	14	20
			86	00	08	25

District: Kamrup			State: Assam			
Circle	Mouza	Name of Village	Dag No	Area		
				Hectare	Are	Hectare
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
North Guwahati	Bar Bangshar	Bar Palaha	592	00	03	87
			593	00	00	40
			1906	00	02	95
			1905	00	01	78
			1913	00	01	75
			585	00	01	91
			1903	00	00	48
			586	00	07	55
			587	00	02	26
			1934	00	00	90
			578	00	00	68
			577	00	00	59
			576	00	08	96
			1900	00	00	69
			556	00	13	44
			555	00	07	19
			553	00	07	82
			551	00	05	38
			550	00	01	52
			549	00	00	59
			548	00	00	08

			477	00	37	67
			478	00	16	13
			483	00	02	92
			484	00	04	50
			474	00	01	78
			486	00	01	84
			487	00	01	94
			488	00	02	98
			489	00	10	56
			490	00	05	05
			491	00	03	95
			494	00	01	32
			493	00	02	96
			494	00	02	48
			383	00	07	03
			495	00	03	53
			382	00	04	00
			380	00	03	11
			381	00	04	34
			370	00	00	45
			1011	00	05	69
			1010	00	05	59
			1012	00	00	40

[F. No. L-14014/171/2022-GP-II(E-43979)]

M.R. NAZMI, Under Secy.